कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

सख्याः 2357 /XXV–(P-8)/2008 देहरादूनः दिनाक 16 मई, 2019.

सेवा में,

श्री नानक चन्द लोहिया (सचिव),
भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी
(भारत के चुनाव आयोग से पंजीकृत)
आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी– 263139

विषयः– <u>**सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।**</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आपकी अपीलीय पत्र दिनांक 04 मई, 2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें। कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या–2087 दिनांक 23 अप्रैल, 2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से सन्तुष्ट न होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अपील पर सुनवाई **दिनांक 27 मई, 2019** को निर्धारित की गयी है।

अतः उक्त निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर योजना भवन, प्रथम तल स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हो तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीय,

(मस्तूदास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

<u>**पृ0 संख्या–2357 / XXV–(P-8)/2008, तददिनांकित**</u>

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(मस्तूदास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

rti 2019

प्राप्त - 8/5/19

नाजक चन्द्र लोहिया (सचिव)
भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी
(भारत के चुनाव आयोग से पंजीकृत)
आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी-263139
मो० 9412036360

अपील

रजिस्टर्ड ए.डी.

पत्र सं० एए-174/ए-85
दि. 4-5-2019

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील।

सेवा में,
श्रीमान् प्रथम-विभागीय अधिकारी जी,
कार्यालय- सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०ख०,
विश्वकर्मा भवन, सुभाष रोड, सचिवालय परिसर,
देहरादून।

प्रतिपक्षी: लोक सूचना अधिकारी, आपका कार्यालय।

माननीय महोदय

मेरे अपीलीय बिन्दु निम्न प्रकार हैं—

1. मैंने दि. 9.3.2019 के आवेदन द्वारा कुछ सूचनायें चाही थीं. छाया प्रति संलग्नक - 1

2. प्रतिपक्षी ने अपने पत्र दि. 23-4-2019 द्वारा जो जानकारी दी, वह त्रुटिपूर्ण, अधूरी व भ्रामक है। मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। छाया प्रति संलग्नक - 2।

3. मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ, आने जाने की असुविधा से अपील की नियत-तिथि पर उपस्थिति से दूर की प्रार्थना करता हूँ, स्वीकार करें। अपीलीय निर्णय रजि० डाक द्वारा मुझे भेज दिया जाय।

4. विस्तृत तर्क, बिन्दुवार नीचे दिये हैं इन पर प्रजातंत्र में जनता को शासक मानते हुए - सूचना उपलब्ध कराई जाय, जिसे मैं चाही गई है। प्रतिपक्षी के उत्तर में - दायित्वशीलता एवं पारदर्शिता का पूर्ण रूप से अभाव है।

भवदीय -
(हस्ताक्षर)
(नाजक चन्द्र लोहिया)
अपीलार्थी। आवेदक

बिन्दु वार - प्रतिवेदन (तर्क)

आवेदन पत्र बिन्दु - 1. चाही गई सूचना - हिन्दी राजभाषा प्रयोग हेतु गजट सूचना दि. 7.1.10 को अभिलेख रूप जिसे दिख दिया गए।

प्रतिपक्षी : इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी - सूचना का अधिकार अधिनियम के

(हस्ताक्षर)

जारी पृष्ठ - 2

नाजक चन्द्र लोहिया (सचिव)
भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी
(भारत के चुनाव आयोग से पंजीकृत)
आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी-263139
मो० 9412036360

पत्र सं. ह.प./74-I-85/2191
दि. 4-5-2019
सेवा में, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देहरादून

अनुसार दस्तावेजों अभिलेखों की प्रतिलिपी इच्छा करना प्रतिपक्षी का दायित्व व अधिकार है। जिस की उन्हे जानकारी प्रतीत नही होती है। अन्यथा - उन का पटल सहायक उन्हें अवश्य बताते। उन्होने अपने उत्तर के साथ राजभाषा अधिनियम 2009 दि. 07-1-2010 की छाया प्रति संलग्न की है जिस में उत्तराखण्ड राज्य के कार्यालयों के सभी कार्य में हिन्दी प्रयोग की आज्ञा है। उत्तर में उन्होने इसे 7 जनवरी 2019 पढ़ा है जब कि मेरे आवेदन पत्र में यह तारीख 07-01-2010 ही अंकित है।

विन्दु - 3, ऐसे विज्ञापनों पर व्यय धन राशि 2,49,683 बताई गई है। हिन्दी भाषी जनता के कोष से उसे अंग्रेजी में सूचना देने पर खर्च, अविवेक पूर्ण व्यय है। यह जनता को सूचना के अधिकार से वंचित करने का - जानबूझ किया गया प्रयास है। यह राजभाषा नियम का उल्लंघन भी है। इस नियम के अनुसार 'प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन का अनुपालन हो रहा है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच का उपाय करे।'

विन्दु - 5 : चाही गई सूचना - आपके कार्यालय में धारा-4 की स्वत: देय सूचना-पट जहां लगा हो।

दीगई सूचना : कार्यालय में धारित नहीं है। त्रुटि पूर्ण है।

टिप्पणी : सू. के अधिकार (R.T.I) के अन्तर्गत 17 विन्दुओं की सूचना प्रदर्शित करने का क्रमांक (XVI) है। पटल सहायक ने इसे पढ़ा ही नहीं। उन्होने आवेदन पत्र में दिये विकल्प पर भी ध्यान नहीं दिया और आवेदक को इस अपील का सहारा लेने को मजबूर किया।

राज्य निर्वाचन कार्यालय - प्रजातंत्र में जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाला महत्वपूर्ण विभाग है। प्रतिपक्षी ने इस सम्बन्ध में अपने उत्तर से हिन्दी भाषी जनता की भावनाओं की घोर उपेक्षा की है। इसे रोका जाना चाहिए।

संलग्नक : 2

भवदीय -

[signature]

(अपीलार्थी आवेदक)

संलग्नक-1

प्रेषकः— नानक चन्द लोहिया (सचिव)
भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी
(भारत के चुनाव आयोग से पंजीकृत)
आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी—263139

पत्र सं0 2129/हिन्दी

दिनांकः— 9-3-2019

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी जी,
कार्यालय चीफ इलेक्शन आफीसर, उ0ख0
सचिवालय परिसर, प्रशासनिक विश्वकर्मा भवन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः— **सूचना का अधिकार 2005 (धारा—4) की सूचना के लिए आवेदन।**

1— आपकी विज्ञापन सूचना हिन्दी हिन्दुस्तान दिनांक 6-3-19 अंग्रेजी में।

2— उत्तराखण्ड सरकार गजट सूचना—25/XXXVI(3) 2010/85(1) 2009 दिनांक 07.01.2010 राजभाषा हिन्दी प्रयोग की विहित सूचना एवं केन्द्र सरकार का "क" क्षेत्र हेतु शासनादेश। 3- लोक प्राधिकारी द्वारा सूचनाओं का स्वैच्छिक प्रकटन - (Proactive Disclosure) 17 मैनुअल धारा-4।

सम्मानित महोदय,

नियमानुसार आपके कार्यालय द्वारा हिन्दी के समाचार पत्र में विज्ञापन सूचना हिन्दी में ही देनी है किन्तु इसकी पालना नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में निम्न सूचना देने की कृपा करें—

1. उपरोक्त गजट विहित सूचना का अभिलेख रूप आपके द्वारा किस दिनांक को किया गया है क्रमांक सहित।
2. विज्ञापन आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम, पद एवं कार्यालय प्रशासकीय प्रधान का नाम पद।
3. विज्ञापन पर व्यय धनराशि/अनुमानित ऐसे गत वर्ष किये भुगतान का ब्यौरा।
4. विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पद तथा पता।
5. आपके कार्यालय में उस स्थान का विवरण, जहाँ धारा-4की स्वतः देय सूचना-पट लगा हो।

विकल्प—'भविष्य में हिन्दी प्रयोग सम्बन्धी शासनादेशों का कड़ाई से पालन करने का कार्यालय आदेश कर प्रतिलिपि मुझे भेज दें। क्रमांक 1 से 5 तक की सूचना इसे ही हम मान लेंगे।'

यह आवेदन पत्र पूर्व में भाषा विभाग को शुल्क अदा कर प्राप्त हिन्दी प्रयोग सूचना की अवमानना और धारा—4 की 'सूओमोटो'—स्वः प्रकाशित सूचना का है जिसके लिए आवेदन करना भी आवश्यक नहीं है अतः पुनः शुल्क देय नहीं है।

भवदीय

(नानक चन्द लोहिया)

ज्ञान के रूप में अंग्रेजी भाषा के हम विरोधी नहीं, किन्तु जन सूचना अपनी भाषा में न दिये जाने से विशाल हिन्दी भाषी जनता की भावनाएँ आहत होती हैं और देश की एकता को हानि पहुंचती है।

स्व प्रमाणित

संलग्नक-2

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 2087 / XXV–12(P-7) / 2008 देहरादूनः दिनांक 23 अप्रैल, 2019.

सेवा में,

श्री नानक चन्द लोहिया (सचिव),
भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी
(भारत के चुनाव आयोग से पंजीकृत)
आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी– 263139

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2129 / हिन्दी दिनांक दिनांक 01 अप्रैल, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 05 बिन्दुओं से सूचना चाही गयी है। उक्त बिन्दुओं पर निम्नानुसार सूचना प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या– 01	उत्तराखण्ड सरकार का गजट संख्या–22/XXXVI(3) 2010/85(1) 2009 दिनांक 07 जनवरी, 2019 कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध नही है।
बिन्दु संख्या– 02	विज्ञापन संख्या– 819 दिनांक 05 मार्च, 2019 (प्रति संलग्न) है
बिन्दु संख्या– 03	गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 19–विज्ञापन मद में कुल ₹ 2,49,683.00 की धनराशि व्यय हुई है।
बिन्दु संख्या– 04	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून।
बिन्दु संख्या– 05	कार्यालय में धारित नही है।

संलग्न–यथोपरि।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

(डी0पी0 डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2019

29/4/19